

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- देवघाट प्रखण्ड का वन से चन्कस्वडी - कृषि प्रकल्प

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कृषि प्रकल्प
तहसील देवघाट, जिला कटका

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद कटका के अन्तर्गत देवघाट परियोजना के निर्माण हेतु (—X— हे० आरक्षित वन भूमि, 1.425 हे० सिविल सोयम भूमि, —X— हे० वन पंचायत भूमि —X— हे०) अर्थात् कुल 1.425 हे० वन भूमि का कृषि प्रकल्प विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कृषि प्रकल्प द्वारा दिनांक 15-3-11 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कृषि प्रकल्प के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कृषि प्रकल्प प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/—
ग्राम सचिव



ह०/—
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 15-3-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अमरपाल सिंह	अमरपाल सिंह
2	मनोहर सिंह	मनोहर सिंह
3	आलम सिंह	आलम सिंह
4	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
5	बनो सिंह	बनो सिंह
6	हरि राम	हरि राम
7	नारायण लाल	नारायण लाल
8	गुरमुख सिंह	गुरमुख सिंह
9	बनो सिंह	बनो सिंह
10	मोहन सिंह	मोहन सिंह
11	हरी राम	हरी राम



परियोजना का नाम

चन्द्रखोली - कलियालिगुड दिया बैड मोटर मार्ग
देधाट नागचुला मोटर मार्ग सि.जी. 19 से दिया बैड

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चन्द्रखोली
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चन्द्रखोली परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....☒..... हे० आवंटित वन भूमि☒..... हे० निर्मित सांख्यिक भूमि 1.485 हे० वन पंचायत भूमि☒..... हे०) अर्थात् कुल 1.485
हे० वन भूमि का हो. 0.530 विभाग संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवंटन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चन्द्रखोली द्वारा दिनांक 15-3-15 को सन्तुष्ट ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वीकृत किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चन्द्रखोली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि हो. 0.530 प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चन्द्रखोली
बि० ख०-स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

प्रदुन सिंह
क्षेत्र पंचायत सदस्य
चन्धर खानी
बि० ख०-स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / स्वरूप
मुहर सहित



दिनांक 15.3.015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत च.प्र.ख.गो

क्रमांक	ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पद्मा देवी	चंदा देवी
2	चम्पन सिंह	विमला देवी
3	धन सिंह	दुर्गा देवी
4	कमला देवी	गोविन्द सिंह
5	केशव सिंह	हमर सिंह
6	श्रीमती चम्पा देवी	सुरेन्द्र रावत
7	श्रीमती प्रसन्न देवी	इन्द्र रावत
8	लालित सिंह	लखन सिंह
9	नन्दन सिंह	आनन्द सिंह
10	सुरेन्द्र सिंह	ललीता देवी
11	पान सिंह	वर्षेन सिंह
12	मन्दा सिंह	राजेश सिंह
13	अमर सिंह	आलम सिंह
14	महेश सिंह	इन्द्र सिंह
15	इन्द्र सिंह	इन्द्र सिंह
16	वचन सिंह	धान सिंह
17	समाप्त देवी	दशमी देवी
18	प्रधान	पुन सिंह
19	ललीता देवी	M.R. Gaurav
20	इन्द्र सिंह	Ambar Singh
21	दिवान सिंह	जसवन्त सिंह
22		

ग्राम प्रधान

सरपंच

Rawt
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत चन्धरख
पो 0 बरगन वि 0 ख 0 स

मदन सिंह

क्षेत्र पंचायत सदस्य

चन्धर खानो

वि. ख. 0 स्याहदे (अल्प)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

पन्तर (वडी) - काठियावाड़

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विदिमा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विदिमा हस्ताक्षर

उपखण्ड हस्ताक्षर परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड
(~~हे0~~ आरक्षित वन भूमि, ~~1.485~~ हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ~~1.485~~ हे0
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.485 हे0 वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हस्ताक्षर) की दिनांक 18-3-015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री उप जिलाधिकारी विदिमा अध्यक्ष
- 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी हस्ताक्षर सदस्य
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी हस्ताक्षर सदस्य/सचिव
- 4- श्री बी0डी0सी0 क्षेत्र हस्ताक्षर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

पन्तर (वडी) - काठियावाड़

परियोजना हेतु 1.485 हे0 वन
भूमि

हस्ताक्षर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, हस्ताक्षर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

पन्डरवाडी - कारिगाँव

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विदिगाँव
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विदिगाँव (एन.डी.)

उपखण्ड एन.डी. परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड
(~~हे0~~ आरक्षित वन भूमि, 1.485 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.485 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.485 हे0 वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील एन.डी.) की दिनांक 18-3-05 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री एन.डी. विदिगाँव उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री एन.डी. विदिगाँव उपजिलाधिकारी विदिगाँव अध्यक्ष
- 2- श्री ए.जे. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी एन.डी. विदिगाँव सदस्य
- 3- श्री ए.जे. सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी एन.डी. विदिगाँव सदस्य/सचिव
- 4- श्री मदन सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र एन.डी. विदिगाँव सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

पन्डरवाडी - कारिगाँव

परियोजना हेतु 1.485 हे0 वन
भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, एन.डी. विदिगाँव द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 54/04 परिक्षेत्र के अन्तर्गत
हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रायपुर (रायपुर)
जनपद- रायपुर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रायपुर (रायपुर)
जनपद- रायपुर

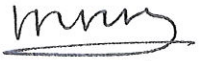
प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :- ~~देवघाट भांगानुलाखाल से चन्द्रखोडी कालिन्ध्यालिखुड~~

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

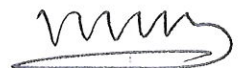

10.06.15
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.485 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


10/04/15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....10.06.15.....at time.....11.00 AM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 1.485 hect. for the Construction of ...CHITTHAR KHANI KALIA LALUN SLIP BAREL M/R of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

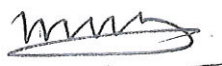
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अनयोडा

(Full name of the official seal of the District Collector)


1006/15
Signature

जिला अधिकारी
अनयोडा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11/9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..1.485.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of

Rural Development Deptt, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.....*Charan Thakur Khani - Kaliga Ligan - Metan Road*.....

(Purpose for diversion of forest land) in..Almora...district falls within jurisdiction of.....*Charan Thakur Khani*.....S. Y. G. Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..1.485.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

बिला सभा के कल्याण अधिकारी

(Full name of the official seal of the District Collector)

Signature
10/06/15

बिला अधिकारी
कल्याण